संख्या फिन-ए-सी (6)1/2020 हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (बजट) विआग

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

हिमाचल प्रदेश सरकार।

दिनांक शिमला-171002.

अ सितम्बर, 2020.

विषयः

अनुपूरक अनुदान मांगें वर्ष 2020-2021 हेतु प्रथम और दितीय आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका (Excess & Surrender Statement) को समय पर भेजने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के समसख्यक पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 2020 के क्रम को जारी रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा मांगी गई सूचना के अतिरिक्त सभी विभाग कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दूसरी आधिक्य एवं अभ्यपंण विवरणिका में जितनी भी बचतें विभाग द्वारा दशीई जाएगी, उनको 30.11.2020 तक वित्त विभाग द्वारा मांनी गई अतिरिक्त राशि के विरुद्ध समायोजन कर, वित्त विभाग के पत्र सख्या फिन-ए-सी(3)-1/2020 दिनांक 18.08.2020 में सलग्न किए गए 'Proforma' पर उचित कारणों सहित पुनर्विनियोजन प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजै ताकि तदानुसार पुनर्विनियोजन / अभ्यपंण आदेश जारी किये जा सकें।

विभाग यह प्रस्ताव भेजना 15 जनवरी, 2021 से पूर्व सुनिचित करें ताकि समय रहते अनुपूरक अनुदान मांगे (Supplementary Demand for Grants) तैयार की जा सके तथा Re-appropriation/Surrender Orders जारी किये जा सकें I

कृपया इस विषय को अति आवश्यक समझे ।

(प्रदीप कुमार) उप सचिव (वित्त बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार।

भवदीय,

सितम्बर, 2020.

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि । दिनांक शिमला-171002, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित हैं:-

- । समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 2. आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग तथा निर्देशक (अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यको और विशेष रूप से अक्षमों का सशक्तिकरण), हिमाचल प्रदेश, शिमला। उनसे अनुरोध है कि अनुपूरक अनुदान मांगे वर्ष 2020-2021 मांग संख्या-31 जनजातीय विकास व मांग संख्या-32 अनुसूचित जाति उप योजना का प्रस्ताव योजना व गैर-योजना वित्त विभाग को संकलित कर भेजने की कृपा करें।
- 3. समस्त सम्बन्धित सहायक वित्त-ए और वित्त-जी अनुभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002 को उपरोक्त के अनुसार अगली कार्यवाही हेतु। यदि निर्धारित समय तक सम्बन्धित विभागों उक्त विवरण प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं अपने स्तर पर इसे सम्बन्धित विभागों से मंगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.

उप सचिव (वित्त बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार।

Important Instructions

No: Fin-A-C (3)-1/2020 Government of Himachal Pradesh Finance (Budget) Department

From

The Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh

To

 All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-02

2. All the Heads of Department, Himachal Pradesh.

Dated: Shimla-171002, the

18 August, 2020

Subject: Instructions regarding Submission of Re-appropriation proposals.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the proposals of re-appropriation of funds are sometimes received in this Department without clear reasons and justification. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Rule 44 (4) of Himachal Pradesh Financial Rules, 2009, it has been decided that the concerned Head of the Department will submit the proposals of re-appropriation of funds to the Finance Department through Administrative Department on the proforma annexed to these instructions. On approval of the re-appropriation, the Administrative Department will convey the re-appropriation to concerned Head of Department with copies to O/O Accountant General and Director, Treasury & Accounts.

It is also requested that while submitting proposals for re-appropriation, Heads of Department may ensure taking surrender of saving amount from concerned DDOs, in e-Vitran.

The above instructions may please be adhered to strictly in letter and spirit.

Yours faithfully,

(PARDEEP KUMAR)

Deputy Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh

ofc

Endst.No. As above.

Dated Shimla-171002, the

18 August, 2020

Copy for information is forwarded to the Deputy Accountant General (A/cs & LVC) O/O Accountant General, H.P Shimla-171003.

(PARDEEP KUMAR)

Deputy Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh

of c

whooded on the spirit Notice Board.

ANNEXURE

		YEAR			
MAJOR HEAD					
From	Amount (Rs)	Reasons for Savings	То	Amount (Rs)	Reasons for Excesses
Minor head and sub- head for appropriation accounts, etc.			Minor head and sub- head for appropriation accounts, etc.		

No......dated......20......